न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास

वाद संख्या–2 / 25 / 2018
अनुवान

1. रामसुखा पुत्र लिक्ष्मन
2. रामेश्वर पुत्र लिक्ष्मन
3. रामस्वरूप पुत्र रामनाथ
4. कैलाश पुत्र रामनाथ
5. बदरी पुत्र भैरू समस्त जाती गुर्जर नि0 कान्या बास तह0 राजगढ़ –प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ़
3. भू–आवंटन समिति जर्ये अध्यक्ष
4. सर्वेश नारायण पुत्र श्रीराम जाति महाजन नि0 कल्लू पाड़ा अलवर –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

24.05.2018 आज यह पत्रावली वास्ते निणर्य कैम्प कोर्ट गोला का बास पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया की हाल खसरा न0 440 / 0.07, 441 / 0.04, 462 / 0.07 463 / 0.25, 477 / 0.37, 478 / 0.11, 479 / 0.43 480 / 0.45, 480 / 492 / 0.19 420 / 501 / 0.05 वाके ग्राम कान्या बास तह0 राजगढ़ में स्थित है से प्रार्थीगण को बेदखल न करे कार्यकास्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करे। मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर बहस एक पक्षिय सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया हुआ है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई हक व संबंध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। चूकि प्रार्थना पत्र वर्ष 2001 से इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसका आज दिनांक तक निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक पूर्व

से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा भी जारी नहीं है। जवाब पैरोकार के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण की खातेदारी वर्तमान में साबित हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाई जाती है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल अस्वीकार योग्या पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट हाल खसरा न0 440/0.07, 441/0.04, 462/0.07 463/0.25, 477/0.37, 478/0.11, 479/0.43 480/0.45, 480/492/0.19 420/501/0.05 वाके ग्राम कान्या बास तह0 राजगढ़ अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट गोलाकाबास